कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या 02 /डायक्लो0/प्रतिबन्ध/सी0एलबी0/2007-08 दिनांक- 4.7.2007

समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

परिपत्र

वर्तमान में देश एवं प्रदेश में यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो रहा है कि गिद्धों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है तथा पर्यावरण परिस्थितिकीय तन्त्र के प्रमुख घटक एवं इस तन्त्र की एक मुख्य कड़ी गिद्धों की प्रजाति विलुप्त हो रही है। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों एवं अनुसंधानों से यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया है कि गिद्धों की विलुप्ति का मुख्य कारण **डायक्लोफिनैक** औषधि की विषाक्तता है। पशु चिकित्सा के क्षेत्रा में **डायक्लोफिनैक** एक **एण्टी-इन्फ्लेमेटरी** औषधि के रूप में प्रयोग में लायी जाती है। **डायक्लोफिनैक** का पशुओं की औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने से मृत पशुओं में इसका अवशेष बना रहता है। चूँकि गिद्ध प्रमुख रूप से मृत पशुओं के माँस का प्रयोग करते है, ऐसी स्थिति में मृत पशुओं के शव में **डायक्लोफिनैक** का विषाक्त स्तर गिद्ध ग्रहण करते है जिसके कारण गिद्धों में **विसरल गाउट** या **रीनल फैल्योर** जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और कुछ दिनों में इनकी मृत्यु हो जाती है। निःसन्देह, गिद्धों के **फूड चेन** में **डायक्लोफिनैक** अवशेष युक्त माँस अत्यन्त घातक सिद्ध हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि **डायक्लोफिनैक** औषधि का पशु चिकित्सा में उपयोग न किया जाय।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ड्रग कण्ट्रोलर जनरल आफ इण्डिया ने **डायक्लोफिनैक** औषधि को पशुओं में प्रयोग हेतु निर्माता फर्मो को प्रदत्त लाइसेन्स को निरस्त यथा पशुओं में उपयोग हेतु उत्पादन को प्रतिबन्धित कर दिया है।

अतः आप सभी को विभाग द्वारा इस विषय में समय-समय पर जारी परिपत्रों को संज्ञान में लेने के साथ-साथ पुनः निर्देशित किया जाता है कि किसी भी दशा में **डायक्लोफिनैक** औषधि का उपयोग पशुओं में इन्जेक्शन, ओरल या टापिकल अप्लिकेशन आदि के लिए कदापि न किया जाय। आप अपने स्तर से सभी पशु चिकित्साधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करें कि किसी भी स्थिति में **डायक्लोफिनैक** को कदापि प्रेस्क्राइब न किया जाय और न ही उपयोग किया जाय। उचित होगा कि इस औषधि के स्थान पर अन्य एन0एस0ए0आई0डी0 यथा **मेलाक्सीकाम** आदि औषधियों का उपयोग किया जाय।

उपरोक्त तथ्यों एवं जानकारियों से समस्त पशु औषधिकों को भी अवगत कराया जाय। जनमानस एवं पशुपालकों को **डायक्लोफिनैक** औषधि के उपयोग न करने हेतु विभाग द्वारा लगाए जा रहे शिविरों, पशु चिकित्सालयों, पशुधन प्रसार केन्दों, तहसील दिवसों के माध्यम से व्यापक जानकारी दी जाय। विभाग द्वारा चलाए जा रहे जनजागरूकता अभियानों के माध्यम से भी इस औषधि के प्रयोग को रोकने/बन्द करने हेतु जनमानस को जागरूक बनाया जाय। जनजागरूकता हेतु पशु कल्याण संस्थाओं से भी सहयोग प्राप्त किया जाय।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता वाँछनीय नहीं है।

(रूद्र प्रताप)
संयुक्त निदेशक (रोग नियन्त्रण)

संख्या /डायक्लो0/प्रतिबन्ध/सी0एलबी0/2007-08 दिनांक-

प्रतिलिपि-

1- समस्त उप निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- औषधि नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को भारत के औषधि महानियन्त्रक, भारत सरकार के पत्र संख्या एफ-18-03/2006डीसी दिनांक 1।-5-2006 के सन्दर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कृपया उक्तानुसार कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

(रूद्र प्रताप)
संयुक्त निदेशक (रोग नियन्त्रण)